प्राक्कथन

यह प्रतिवदेन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा नज़ूल भूमियों के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्व में भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई थी तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2009-10 के प्रतिवेदन सं. 6 में शामिल किया गया था। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर चर्चा की गई तथा इसके अवलोकनों तथा अनुशंसाओं को 'भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्यप्रणाली' पर उनके 59$^{वें}$ प्रतिवेदन (15$^{वीं}$ लोकसभा) में लाया गया (27 अप्रैल 2012)। आगे, लोक लेखा समिति द्वारा अपने 59$^{वें}$ प्रतिवेदन में समाहित अवलोकनों/अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 78$^{वां}$ प्रतिवेदन (15$^{वीं}$ लोकसभा) लाया गया (21 मार्च 2013)।

यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के अवलोकनों/अनुशंसाओं पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि की लेखापरीक्षा की गई है तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बाद में 31 मार्च 2021 तक अद्यतन किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।